



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: एफ-7(76)रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष/2022/ 11174

दिनांक: 20/5/22

स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय जयपुर जिला, भीलवाड़ा, अलवर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में वर्ष 2022 में रिक्त होने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों (कुल 08 पद) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता-

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी जो दिनांक 31.12.2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

2. सेवा के निबंधन एवं शर्तें-

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए की जाएगी, तदनुपरान्त प्रतिवर्ष, सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकतम कुल 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं, स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें), नियम 2003 (यथासंशोधित) के अनुरूप देय होंगी।

(ग) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन बंध पत्र (अण्डरटेकिंग) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे संबंध नहीं रहेगा।

3. चयन की रीति / प्रक्रिया—

(क) स्थाई लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन, योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट: आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छटनी (शॉर्टलिस्टिंग) की जा सकेगी व तदनुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

4. आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा—

(क) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ख) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(घ) आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र में वर्णित वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(ङ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.06.2022 समय दोपहर 01:00 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।


(च) ई-मेल अथवा फ़ैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।

6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

7. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,



सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक: एफ-7(76)रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष/2022/11175-11190 दिनांक: 20/5/22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायानय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मिडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावे।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्टर एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावे।
9. निदेशक/विषेस सचिव/उप सचिव-प्रथम, द्वितीय, रालसा जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Quarant
20/05/2022
निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:

१११९१

दिनांक: 20/5/22

स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालत, मुख्यालय जयपुर जिला, भीलवाड़ा, अलवर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में वर्ष 2022 में रिक्त होने वाले वपूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों (कुल 08 पद) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 31.12.2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, से दिनांक 10.06.2022 समय दोपहर 01:00 बजे तक ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.rlsa.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

:: आवेदन पत्र ::

(राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(76)रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष/2022/..... दिनांक के क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन।

1. आवेदक का नाम :

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. गृह जिला (सेवा अभिलेखानुसार)

5. स्थायी निवास का पता

6. वर्तमान पत्राचार का पता

7. मोबाईल नम्बर

8. ई-मेल

9. शैक्षणिक योग्यताया (सैकण्डरी, एल.एल.वी. एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन स्व-हस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं

10. न्यायिक सेवा में प्रवेश की दिनांक व पदनाम
11. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)
12. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)
13. सेवानिवृत्ति की दिनांक
- (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
14. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अंतिम आहरित)
15. विगत 07 वर्षों का/सेवानिवृत्ति के अंतिम 07 वर्षों का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव विवरण :-

क्र.सं.	न्यायालय व धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	सम्पादित कार्य की प्रकृति
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

16. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण:
-
-

17. वकालत का अनुभव -

न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व वर्ष
सेवानिवृत्ति के पश्चात् वर्ष

18. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण

(सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

19. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं ? हाँ/नहीं
20. क्या आवेदक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है? हाँ/नहीं
21. क्या आवेदक (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरुद्ध वर्तमान में कोई प्रारम्भिक या विभागीय जांच लंबित है अथवा क्या पूर्व में विभागीय जांच में दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण-

22. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है ? यदि हां, तो उसका विवरण -

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

• नोट: आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज की स्व: सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।
